भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
हिंदी अनुभाग

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Hindi Section

अतितत्काल/समयबद्ध

सं. ई. 11012/12/2019-हिन्दी/1425

दिनांक 05 दिसम्बर, 2019

परिपत्र

विषय: हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जनवरी-मई 2020 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना से प्राप्त पत्र सं. 3/8/2019/उ.नि.(मध्योत्तर)/3030-3730, दिनांक 25.10.2019 की प्रति सभी संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट ***http//cwc.nic.in*** पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिपत्र के अनुसार हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) का नया सत्र 01 जनवरी 2020 से पूर्वाह्न 10.00 बजे से प्रारम्भ हो रहा है।

3. अनुरोध है कि कृपया सभी संबंधित मुख्य अभियंता (मुख्यालय)/अनुभाग/निदेशालय, प्रशिक्षण के लिए उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए नामित करें जिनको हिन्दी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है। **साथ ही अनुरोध है कि जिन अधिकारियों का नामांकन पिछले सत्र में दिया गया था और किसी कारणवश उक्त प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं हो सके, उन अधिकारियों/कर्मचारियों का भी नामांकन किया जाए।**

4. हिन्दी शिक्षण योजना के दिनांक 25.10.2019 के पत्र में संलग्न नामांकन प्रोफ़ार्मा दो प्रतियों में भरकर **09.12.2019** तक अनिवार्यतः केंद्रीय जल आयोग के हिंदी अनुभाग को भेजने का कष्ट करें। ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

5/12/19
(रजिन्दर पॉल)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
बी.पी.एल. 3720

-----2/-

1. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. सभी निदेशक/ शाखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, के.ज.आ., नई दिल्ली।
4. निदेशक (समन्वय), अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. उपनिदेशक (एस एम डी) - **इस अनुरोध सहित कि कृपया इस पत्र को तत्काल केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।**

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।

नामांकन प्रपत्र

क्र. सं.	नामित अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या
01							

स्थान :
दिनांक

हस्ताक्षर :____________________

नामित करने वाले अधिकारी: ____________________

(मोहर सहित): ____________________

अधिकारी का नाम और कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित: ____________________

ई-मेल: ____________________

दूरभाष : 26175246
Phone 26176055
26191574
टेलीफैक्स
Telefax : 26191572
E-mail : ddhts-nc-dol@nic.in

संख्या/No. 3/8/2019-उनि(मध्योत्तर)/ 3030-3730

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (NORTH CENTRAL)
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME

पूर्वी खंड-7, तल-6,
East Block-7, Level-6,
रामकृष्णपुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated 25/10/2019

सेवा में,

संपर्क अधिकारी (हिंदी),
प्रशासनिक अधिकारी,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

विषय :- **हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जनवरी-मई 2020 सत्र की हिंदी प्रबोध ,प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।**

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों. बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध ,प्रवीण ,प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र 01 जनवरी 2020 से पूर्वाह्न 10.00 बजे से प्रारम्भ होगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में15 दिसंबर 2019 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें ।

हिंदी प्रबोध ,प्रवीण ,प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए।

...2

<u>प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी</u>

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों,निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएँ 1 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएँ मई 2020 में आयोजित की जाएंगी।	जो अधिकारी/ कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं0 21034/66/2011 /2010-राभा (प्रशिक्षण)दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	-वही-	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 1.30घंटे या प्रतिदिन 1घंटा। कक्षाएँ 1 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षाएँ मई 2020 में आयोजित की जाएंगी।	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/निकायोंउद्यमों/ अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा कक्षाएँ 1 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षा मई 2020 में आयोजित की जाएंगी।	नगद पुरस्कार का मामला विभाग के विचाराधीन है।

नोट-:

- जिन अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्यालय में सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफकार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर,रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन,फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर,डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत : स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती,परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक,डॉक्टर,नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों /कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है ,उनके लिए प्राज्ञ तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग “घ” के कार्मिकों को वर्ग “ग” में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग “ग” के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है ।अत: वर्ग “घ”से वर्ग “ग” में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग “ग” श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके। तथा निर्धारित परीक्षाएँ पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. <u>प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण</u>

हिंदी प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रशिक्षण प्रणाली में भरा जाएगा।

- सभी हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण प्रणाली में पूरा डाटा सही-सही भरा गया है।डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि के संबंध में हिंदी प्राध्यापकों/ सहायक निदेशक को इस कार्यालय द्वारा यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।
- प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रशिक्षण प्रणाली में अपलोड करने के पश्चात तत्काल उपनिदेशक(मध्योत्तर)को ई-मेल द्वारा सूचित करें।अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

2. <u>परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी नियम</u>

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई 2020 में आयोजित की जाएंगी ।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र संलग्नक- III में दिनांक 15.02.2020 तक उप निदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए ।

3. <u>परीक्षा शुल्क</u>

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- **भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों ,बैंकों ,निगमों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु.100 -/प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।**
- पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है ।

...4

4. <u>परीक्षा शुल्क का भुगतान</u>

- केंद्र सरकार के उपक्रमों निगमों बैंकों सांविधिक निकायों के सभी नियमित व प्राइवेट प्रशिक्षर्थियों के लिए रू100/- प्रति प्रशिक्षार्थी के लिएपरीक्षा शुल्क देय होगा।
- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है तभी परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा परीक्षा स्कंध द्वारा उनके प्रवेश-पत्र नहीं भेजे जा सकेंगे।
- परीक्षा शुल्क'भारतीय स्टेट बैंक' की website - **www.onlinesbi.com**पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। **ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।**

5. <u>पूरक परीक्षा</u>-

- नवंबर2019में हुई हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा,मई-2020 के लिए नया आवेदन भरना होगा तथा अपने आवेदन-पत्र पर पुराना अनुक्रमांक (नवंबर-2019में हुई परीक्षा का) देना होगा। अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में पूरक घोषित किया गया था।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में रु.10/- का बैंक ड्राफ्ट देना होगा।

6. <u>पाठ्यपुस्तकें</u>

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

7. <u>वित्तीय प्रोत्साहन</u>

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके कार्यालय/विभाग द्वारा दिया जाएगा।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

  (अधिक जानकारी हेतु कृपयाकार्यालय ज्ञापन सं-66/212820-.रा.भा).प्रशिक्षण(दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	रू.400	रू.800	रु.1600
2.	प्रवीण	रू.600	रू.1200	रू.1800
3.	प्राज्ञ	रू.800	रू.1600	रू.2400

8. <u>कक्षाओं में उपस्थिति</u>

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

9. <u>नया केंद्र खोलना</u>

- **यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह हर कक्षा लिए कम से कम 15 से 20 प्रशिक्षार्थियों को नामित करने का सुनिश्चित करे। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2019 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।**

10. <u>विशेष</u> -

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें।जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।

- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।

- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।

- सुलभ संदर्भ के लिए अंशकालिक केंद्रों एवं नियमित प्रशिक्षण केंद्रों की सूची अनुलग्नक-II में दी गयी है। सभी प्रशासनिक प्रधानों से अनुरोध है कि वे नजदीकी केंद्रों में अपने नामित प्रशिक्षाणार्थियों को भेजने का कष्ट करें।

- कक्षाओं के गठन के संबंध में जारी किए गए निदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के शहरों यथा फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि पर भी लागू होंगे।

...6

<u>कार्यालय का पता/संपर्क सूत्र</u>

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर),
हिंदी शिक्षण योजना,
पूर्वी खंड- 7, लेवल-6,
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली -110066,
दूरभाष: 26175246/ 26191572

श्रीमती वीना शर्मा
उप निदेशक (मध्योत्तर)
मो0- 9868347330/ 8920079465
ई.मेल-chti1113@nic.

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
सहायक निदेशक
मो. 9560213089
फोन : 011-26176055
ई.मेल-chti1148@nic.in

हिंदी प्राध्यापक	मोबाइल नंबर	ई.मेल का पता
1. श्री राजकुमार	9582854331	chti1232@nic.in
2 .श्रीमती नीपा शर्मा	9899989821	chti1227@nic.in
3. श्री आशाराम	9213107791	chti1256@nic.in
4. श्री राजकुमार बाल्मिकी	9971953257	chti1260@nic.in
5. श्रीमती सीमा रानी	9990197892	chti1267@nic.in
6. श्रीमतीशोभाकुजूर	9840349234	chti1270@nic.in
7. श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)	09460474143	chti1277@nic.in
8.श्री महेश चंद्र मीना (देवली,राज.)	09508155071	maheshgudli007@gmail.com
9. डॉ रामेश्वर लाल मीणा (जम्मू)	09018451848	Chti1272@nic.in
10 श्रीमती सुनीता यादव	9654009808	Chti1284-dol@gov.in

सभी विभागाध्यक्ष/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें तथा दूरभाष एवं फैक्स नंबर भी भिजवाएं । यदि ई मेल का पता भी दे सकें तो हमें पत्राचार में बहुत सुविधा होगी ।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.inको देखने का कष्ट करें ।

भवदीया,

18.10.19
(वीना शर्मा)
उप निदेशक (मध्योत्तर)

पृष्ठांकन सं. 3/8/2019-उ नि (मध्योत्तर)/3030-3730 **दिनांक :** 25-10-2019

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,7वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़,नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना,7 वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. सभी हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित विभागों/ कार्यालयों में जाकरगहन संपर्क करके कक्षाओं का गठन करें तथा किए गए संपर्क कार्य की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।
5. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) 2- ए. पृथ्वीराज रोड,नई दिल्ली ।
6. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम,नई दिल्ली ।
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ तथा जयपुर व देवली राजस्थान।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक,केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन. केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
9. प्रभारी सहायक निदेशक अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण,केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,2-ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11
10. प्रभारी सहायक निदेशक भाषा पत्राचार स्कंध केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए,पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11

18.10.19
(वीना शर्मा)
उप निदेशक (मध्योत्तर)

अनुलग्नक-I

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

हस्ताक्षर.............................

नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम..

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नं व ई मेल सहित...

(कार्यालय का मोहर)

अनुलग्नक-II

उप निदेशक (मध्योत्तर) के कार्यालय के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रो का नाम व पता

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष
1.	हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र ,आर. के .पुरम, नई दिल्ली-66,(सम्मेलन कक्ष)	011- 26175246
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली	011-25687114
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली	011-23098591/4558
4.	वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली	011-25697551/7529
5.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन,नई दिल्ली	011-25615203
6.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	
7.	सशस्त्र सीमा बल, 25वीं बटालियन, घिटोरनी, नई दिल्ली	
8.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	011-23456396
9.	राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	
10.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली।	
11.	भारतीय खेल प्राधिकरण, ज0ला0ने0स्टेडियम, नई दिल्ली ।	
12.	राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली।	
13.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़	0172-2607420
14.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़	
15.	आई टी बी पी, भानु चण्डीगढ़	
16.	सी आर पी एफ, लालवास, जयपुर	0141-238543139
17.	सीमा सुरक्षा बल, लबाना कैंप, जयपुर	
18.	सी आई एस एफ, आमेर, जयपुर	
19.	दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण केंद्र,सेक्टर-9.द्वारका.नई दिल्ली	
20.	दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण केंद्र,,झड़ौंदा कलां , नई दिल्ली	
21.	आई.आई .एफ. सी .एल, किडवाई नगर,नई दिल्ली	

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली

प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम /दीर्घकालिकभाषा प्रशिक्षण :

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of the Candidate: (IN BOLD LETTERS)
लिंग (स्त्री /पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता /पति का नाम:	Father's/ Husband name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation:
मातृभाषा:	Mother tongue:-
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi :
मंत्रालय का नाम:	Name of Ministry:
विभाग का नाम :	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम:	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता : **ईमेल/दूरभाष:**	Full office address With Email/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण: Bank details of Examination Fees:	
प्रशिक्षार्थीका दूरभाष/मो. Candidate's Phone/mob.	
प्रशिक्षार्थीका ई मेल : Email id of the Candidate :	
आधार सं: Adhaar No.	

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च..2020 को समाप्त छमाही की रिपोर्ट

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

....

....

....

			1	2	3	4	5
			प्रशासनिक अधिकारी		प्रचालन अधिकारी		योग
			राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या						
2.	मद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या						
3.	मद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।					
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।					
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।					
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।					
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी।					
4.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।					

---- 2

5..	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।					
6.	वर्ग'घ' से वर्ग 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।					
7.		जिनके लिए टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।					

कार्यालय अध्यक्ष का नाम..

दूरभाष संख्या..

ई-मेल ....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ....

मोहर सहित
दूरभाष संख्या